रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, फरवरी 20—फरवरी 26, 2011, शनिवार/फाल्गुन 1—फाल्गुन 7, 1932

No. 9] NEW DELHI, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2011, SATURDAY/PHALGUNA 1—PHALGUNA 7, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग) भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निदेशक जनगणना कार्य के कार्यालय [अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग)] समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी (ड्राइंग)	1* (2011) (*कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पीबी-3, रुपए 15600–39100 (ग्रेड पे रुपए 5400)	चयन	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) । **टिप्पणी** : आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि (ii) मानचित्र/चार्ट/मानचित्रण कार्य का तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पणी 1 :** अन्यथा रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अभिलिखित कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग अर्हताओं को शिथिल कर सकता है । **टिप्पणी 2 :** यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जिनके पास उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव हो, मिलने की संभावना नहीं है तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल कर सकता है । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संगठन से ललित कला/वाणिज्य कला में 3 वर्षों का डिप्लोमा ।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं किंतु किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक डिग्री अनिवार्य है ।	सीधे भर्ती तथा पदोन्नति के लिए एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** पे बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4800 में, मानचित्र विशलेषक, जिन्होंने दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो । **टिप्पणी 1 :** जहां उन कनिष्ठों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वह वांछित योग्यता रखते हों अथवा अर्हक सेवा अथवा ऐसी योग्यता के आधे से अधिक अर्हक सेवा रखते हों अथवा 2 वर्ष जो भी कम हो और अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपने कनिष्ठों के साथ अपनी परीवीक्षा अवधि पूरी कर ली हों । **टिप्पणी 2 :** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार में कार्यरत अधिकारी (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(12)	
	(ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैण्ड-2 रू. 9300—34800 + 4800 ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों : और (ख) कालम (8) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (फीडर वर्ग के वे विभागीय कर्मचारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे ।) (केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुरूपी ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाए उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) : (1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) भारत के महारजिस्ट्रार —सदस्य (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) :** (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय —सदस्य (3) भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार—सदस्य	पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12032/9/99-प्रशा.-2/5]

सुरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, जनगणना कार्य

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 18th February, 2011

G. S. R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories [Research Officer (Drawing)] Recruitment Rules, 2000, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Drawing) in the Office of the Registrar General, India, as well as the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories [Research Officer (Drawing)] Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Officer (Drawing)	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600—39100 (Grade Pay of Rs. 5400)	Selection	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba

6)

		(7)	
		district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)		(9)	(10)
Essential : (i) Master's Degree in Geography from a recognised University. (ii) Three years experience in Drawing of Maps/ Charts/Cartographic work. **Note 1 :** Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Comission for reasons to be recoreded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Comission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tirbes, if at any stage of selection the Union Public Service Comission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaiable to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Three years Diploma in Fine Arts/Commercial Art from a recognised University/Institute.		Age : No Educational qualification : No But must posses Bachelor's Degree with Geography from a recognised University.	One year for direct recruits and promotees.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
100% Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Map Analyst in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 with two years regular service in the Grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)
Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman 2. Registrar General, India —Member 3. Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

8)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—

1. Registrar General, India —Chairman
2. Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs —Member
3. Additional Registrar General, India/ Joint Registrar General, India —Member

[F. No. A-12032/9/99-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग वित्त और बजट अधिकारी समूह-क पद भर्ती नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (वित्त और बजट अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग वित्त और बजट अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त और बजट अधिकारी	1* (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600-39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता